पुलिस कमिश्नरों की नाक के नीचे चलता रहा जुआ

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 21 सी स्थित सी पी (पुलिस कमिश्नर)कार्यालय एवं आवास के ठीक सामने एक तीन सितारा हाई-फ़ाई होटल है। इसमें नियमित रूप से जुआ चलने की मुखबरी पर पुलिस ने दिनांक 2 फ़रवरी 15 को छापा मार कर कर दिल्ली से आये 6 जुआरियों को सवा दो लाख रुपयों सहित पकड़ लिया। जुआ क्योंकि होटल वालों की सहमति एवं संरक्षण में चलता था, इसलिये होटल वालों ने मेहमान जुआरियों को छापे से बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी इस चेष्टा को पुलिस पहले से समझती थी लिहाजा पुलिस ने उनकी होशियारी नहीं चलने दी।

बेशक यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। इन जैसे अपराधों में अदालत में पेश करते ही छोटा-मोटा जुर्माना लगाकर दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। परन्तु समझने वाली बात यह है कि पुलिस कमिश्नरों की एन नाक के नीचे यह धंधा बरसों से चलता कैसे रहा? और यह भी समझना जरूरी है कि अधिकांश बड़े अपराधों की जड़ें इसी तरह के छुट-पुट अपराधों में ही पनपती हैं। इन छुट-पुट अपराधों को यदि नियन्त्रित कर लिया जाय तो बड़े अपराध भी काफ़ी हद तक नियन्त्रित हो जाते हैं।

हरियाणा में फ़रीदाबाद व गुड़गांव दो ऐसे ज़िले अथवा पुलिस कमिश्नरी हैं जहां का सी पी जितना चाहे उतना (अपराध नियन्त्रण का) काम कर ले अथवा जितना चाहे मौज मस्ती व उगाही करले अर्थात काम करने वाले के लिये काम बहुतेरा और हरामखोरी करने वाले के लिये हराम का माल बहुतेरा। जनता जानती है कौन क्या करके निकल गया।

मुखबरी के शक में सिपाहियों के तबादले

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले कुछ समय से थाना एनआईटी क्षेत्र में पुलिस संरक्षण में चल रहे शराब, जुए, सट्टे कैसीनो व ऐसे ही कई अन्य काले धंधों के अख़बारों में प्रकाशित होने से थाने का एस एच ओ रामकिशन बेहद परेशान है। हो सकता है किसी उच्चाधिकारी ने उसकी जवाबतलबी की हो, डांटा-फ़टकारा भी हो। लेकिन काला धंधा कोई भी बंद नहीं हुआ। हां डांट-फ़टकार के एवज में एस एच ओ ने अपनी वसूली दर जरूर बढा दी।

अपने काले कारोबार के अखबारों में प्रकाशित होने के लिए एस एच ओ साहब अपने कुछ सिपाहियों को ज़िम्मेवार मानते हैं। उनके अनुसार थाने के कुछ सिपाहियों की मुखबरी के चलते ही थाने की बातें बाहर निकलती हैं। कुछ हद तक उनकी यह सोच ठीक भी है क्योंकि किसी भी थाने-चौकी में सभी मुलाजिम भ्रष्ट एवं लुटेरे नहीं होते। बल्कि अधिकतर मुलाजिम ईमानदार ही होते हैं, भ्रष्ट एवं लुटेरा तो उन्हें उनके अफ़सर ही बनाते हैं। जो भ्रष्ट नहीं बन पाते अथवा उनको लूट में से उचित हिस्सा नहीं मिलता उनमें से कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के किस्से लीक कर देते हैं। लेकिन कोई भी अख़बार अथवा मीडिया केवल ऐसी लीकेज के भरोसे नहीं चलते, जनता के बीच में उनके अपने स्वतंत्र एवं भरोसेमंद सूत्र भी रहते हैं।

एस एच ओ रामकिशन की समस्या यह है कि 31 मार्च 2015 को उसे रिटायर हो जाना है। जाहिर है उसके बाद उसे किसी ने पानी भी नहीं पूछना। ऐसे में लूट की स्पीड अधिक से अधिक बढाना उसकी मजबूरी है। थाने से होने वाली खबरों की लीकेज रोकने के लिये उसने सी पी कार्यालय में तैनात ओ ए एस आई से सांठ-गांठ करके कुछ मुलाजिमों का तबादला जरूर करा दिया। लेकिन ध्यान रहे इलाके में जो कुछ चल रहा है वह सारी पब्लिक देखती व समझती है। और थाने में से भी खबर देने वाले ईमानदार मुलाजिम कभी खत्म नहीं हो सकते, एस एच ओ चाहे जितना ज़ोर लगा ले। सूत्रों से यह भी पता चला है कि उसके एक ड्राइवर ने 2(इको)कारें खरीद कर बतौर अवैध टैक्सी फ़रीदाबाद-गुड़गांव रूट पर लगा रखी हैं तथा 2 आटो भी किराये पर लगा रखे हैं। इतना ही नहीं अपने निजी इस्तेमाल के लिये एक स्विफ्ट डिजायर कार भी उसके पास है, जो कभी भी थाने में खड़ी देखी जा सकती है। इसके अलावा ब्याजखोरी का भी मोटा काम है इस ड्राइवर का।

अदालत परिसर को इन्तज़ार है किसी बड़े हादसे का

अदालत की चार मंजिला इमारत में चढने के लिये दो सीढियां व दो लिफ्टें पहले ही नाकाफ़ी थीं, ऊपर से अब सितम यह हो गया कि एक लिफ्ट और एक सीढी केवल जजों के आने-जाने के लिये आरक्षित कर दी गयी है। इन से कोई भी आम आदमी नहीं आ-जा सकता। कहने को वकीलों पर यह पाबंदी नहीं है। जाहिर है वे इस तरह की पावंदियों को मानते भी नहीं हैं।

विदित है कि तमाम 20-25 जज साहेबान प्रात: साढे नौ बजे तक अपनी अदालतों में पहुंच जाते हैं और फ़िर सायं 4-5 बजे ही नीचे उतरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह आरक्षित सीढी व लिफ्ट सारा दिन खाली रहती है। दूसरी ओर इमारत के एक कोने में स्थित अपेक्षाकृत कम चौड़ी सीढी से दसियों हज़ार लोग़ों को चढना उतरना पड़ता है। इस सीढी पर सदैव भयंकर भीड बनी रहती है। यदि किसी दिन किसी कारणवश भगदड़ मच गयी तो न जाने उसके परिणाम कितने घातक होंगे।

अदालतों में तारीख पर तारीख

फ़रीदाबाद (म.मो.) अदालतों की आज की नहीं पुरानी यही हालत है। वादी, प्रतिवादी, दूर-दूर से तारीख पेशी पर आते हैं और तारीख पेशी लेकर चले जाते हैं। इस पर लोग़ों का कितना धन व समय बर्बाद होता है, आंकना बहुत आसान नहीं है। हां अदालतों के इस रवैये से लम्बित मामलों की संख्या दिन दूणी रात चौगुणी बढ़ती जा रही है। इस व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा अदलतों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही है।

फ़रीदाबाद ज़िले से पलवल अलग हो जाने के बावजूद यहां अदलतों की कुल संख्या 32 है और लगभग इतनी ही और बनने की संभावना है। बढ़ती संख्या को देखते हुए मौजूदा इमारत भी छोटी पड़ने लगी तो एक और बड़ी इमारत का निर्माण भी लगभग पूरा हो चला है।

अदालतों के काम-काज के तौर-तरीकों को सुधारने के लिये देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार दिशा निर्देश भी दिये हैं लेकिन वे नीचे तक पहुंचते-पहुंचते गायब हो जाते हैं। संयोगवश इसका एक उदाहरण दिनांक 6 फ़रवरी को न्यायिक मैजिस्ट्रेट मोनिका की अदालत में देखने को मिला। थाना एन आई टी का एक मुकदमा नं. 246/09 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 406, 323 व 506 के अन्तर्गत दर्ज था। इस मुकदमे में 15.5.10 को आरोप तय हो गये थे। उसके बाद से अब तक 15 तारीखें लग चुकी हैं लेकिन गवाहियां पूरी नहीं हुई हैं। यह तारीख भी गवाही के लिये ही तय थी, लेकिन शिकायतकर्ता लड़की गवाही पर नहीं आई तो मैजिस्ट्रेट साहिबा ने झट से 3 अप्रैल की तारीख दे दी। इस पर प्रतिवादी वकील ने कड़ा एतराज करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि आरोप तय हो जाने के बाद अधिक से अधिक दो वर्षों में गवाहियां पूरी हो जानी चाहिये। अपनी बात के समर्थन में वकील साहब ने सर्वोच्च न्यायालय की दो रूलिंग भी पेश की लेकिन मैजिस्ट्रेट साहिबा पर इसका कोई असर नहीं।

वकील साहब ने ज़ोर देकर कहा कि जब खुद अदालतें ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ायेंगी, उसकी अवमानना करके उसकी गरिमा को भंग करेंगी तो आम जनता से क्या अपेक्षा की जा सकती है?

वकील साहब ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता लड़की तो आने वाली है नहीं क्योंकि उसने तलाक व 5 लाख रुपये बजरिया बैंक ड्राफ्ट अदालत के माध्यम से ले लिये हैं और एक पंचायती फ़ैसला भी कर लिया है जिसके दस्तावेज़ कोर्ट की फ़ाइल पर लगा दिये गये हैं। अब तो लड़की पक्ष केवल लड़के पक्ष को तंग करने की नीयत से इस मुकदमें को घसीट रहे हैं। लड़का जो बंगलौर में नौकरी करता है, उसके एक बार आने-जाने में ही बीस-तीस हज़ार खर्च हो जाते हैं। लेकिन कोर्ट का जवाब केवल इतना था कि वे गवाही तो बंद नहीं कर सकतीं, गवाही तो करानी ही पड़ेगी। जवाब में वकील साहब ने कहा कि गवाही ही तो नहीं हो रही जिसके लिये वे साढे चार साल से चक्कर काट रहे हैं। प्रतिवादियों की बिना बात फ़जीहत हो रही है।

मैजिस्ट्रेट साहिबा से कोई सन्तोषजनक जवाब न मिलने पर वकील साहब ने मामला ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्मुख उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया।

गौरतलब है कि अदालतों की संख्या बढाने की अपेक्षा अदालतों की कार्यपद्धति एवं गुणवत्ता बढाने की ज़्यादा जरूरत है।

स्थानीय नेता जनहित की बजाय केवल लफ़्फ़ाज़ी कर सकते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले में भाजपा के तीन विधायक हैं तथा एक सांसद भी जो भाग्य से केन्द्रीय राज्य मन्त्री भी हैं। ये चारों केवल लफ़्फ़ाज़ी, शोशेबाज़ी एवं ड्रामेबाज़ी में जुटे हुए हैं। इन्हें शायद यह ग़लतफ़हमी है कि इस तरह की तिकड़मों से जनता को सदैव बेवकूफ़ बनाये रखा जा सकता है।

विधायक विपुल गोयल हैं जो नाहर सिंह स्टेडियम में तमाशे तो खूब कर सकते हैं, गायों व कुत्तों को शहर की गलियों से उठा कर बाड़ों में रखने की बयानबाज़ी तो कर सकते हैं परन्तु धरातल पर काम ज़ीरो है। कुत्ते तो गलियों में ज्यों के त्यों जनता को काटे जा रहे हैं और बादशाहखान अस्पताल में कुत्ता काटे के टीके 15 जनवरी 2015 से समाप्त हैं, लेकिन किसी नेता को कोई परवाह नहीं। सम्पन्न लोग तो दो-चार हज़ार खर्च करके कहीं से भी ये टीके लगवा सकते हैं परन्तु वे ग़रीब कहां जायेंगे जिनकी मासिक आय ही चार-छह हज़ार है। कुत्ते भी ज़्यादातर इसी तबके वालों को काटते हैं।

इन चारों 'महान' नेताओं ने, जो जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, कभी शहर में 6 साल से बन रहे मेडिकल कॉलेज में झांककर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। लगता नहीं कि क्षेत्र के किसी भी नेता को ज्ञान हो कि ई एस आई सी इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर क्या गुंडागर्दी कर रही है। यदि इलाके की जनता से इन नेताओं का थोड़ा सा भी लगाव होता, ग़रीब लोग़ों की पीड़ा का ज़रा सा भी एहसास होता तो इन नेताओं ने मुख्यमंत्री खट्टर को साथ लेकर केन्द्रीय श्रम मंत्री तथा प्रधानमंत्री मोदी को जाकर घेर लिया होता। हरियाणा के मज़दूरों का 750 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज निर्माण पर खर्च करने के बाद अब ई एस आई सी कह रहा है कि वह इसे नहीं चलायेगा। कहे भी क्यों न, जिस इलाके के नेता स्वार्थी हों, जनहित से जिनका कोई सरोकार न हो, ई एस आई सी के अफ़सरों के कान पकड़ कर उन्हें जूते मारने का साहस न हो तो ये अधिकारी बदमाशी करेंगे ही।

इसके अलावा बादशाहखान अस्पताल में आम जनता की क्या दुर्गति हो रही है, इसका ज़रा भी एहसास इन नेताओं को नहीं है। न स्टाफ़ पूरा है न उपकरण हैं न दवायें। ग़रीब लोग किस तरह से इलाज के लिये भटकते फ़िर रहे हैं, उसकी इन नेताओं को कोई चिन्ता नहीं। सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों की दुर्दशा तो है ही स्टाफ़ की कमी के चलते स्टाफ़ भी अतिरिक्त बोझ से दबा है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के नारे किस कदर खोखले साबित हो रहे हैं यह देखने के लिये किसी भी सरकारी दफ़्तर में झांकने की फुर्सत इन नेताओं को नहीं है।

हां, जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिये ये नेता किसी भी सामाजिक-धार्मिक अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। किसी का कुत्ता भी मर जाये तो शोक प्रकट करने जरूर पहुंच जायेंगे, विवाह तथा अन्य समारोहों की तो बात ही क्या। मंदिर में ज्योत जलानी हो, किसी जगराते का उद्घाटन करना हो, नगर निगम, हूडा या कोई अन्य सरकारी विभाग कहीं कोई ईंट भी लगा रहा हो तो वहां नारियल लेकर फ़ोटो खिचाने सबसे पहले पहुंच जायेंगे। तबादलों के लिये नोट लिखना या किसी के उल्टे सीधे कामों के लिये सिफ़ारिश करने में भी ये पीछे नहीं रहते।

दिनांक 11 फ़रवरी को स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके बताया कि वे चंडीगढ जाकर मुख्यमंत्री खट्टर से इस शहर के लिये कुछ तोहफ़े लाये हैं। एक तोहफ़ा है नहर पार भी हूडा का एक जिमखाना क्लब बनेगा जैसे कि सेक्टर 15 ए व सेक्टर 21 (अनखीर चौक) में है। बड़खल झील में पानी भरवा कर पर्यटन को बढावा देंगे तथा नहर पार के सेक्टरों के लिये मैट्रो रेल का विस्तार कराने पर विचार करेंगे। इससे पहले कृष्णपाल फ़रीदाबाद-गुड़गांव मैट्रो रेल का शिगूफ़ा भी छोड़ चुके हैं। सरकार में बैठे इन लोग़ों की प्राथमिकताओं को देख कर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि इनकी प्राथमिकतायें केवल प्रॉपर्टी व्यापार से जुड़ी हैं न कि आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं से।

सेक्टर 12 में बस अड्डा : सरकार की अक्ल से दुश्मनी है या जनता से

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 12 के अदालत परिसर व थाना सेंट्रल के बगल में हरियाणा सरकार एक बस अड्डे का निर्माण करने पर उतारू है। इसकी लागत करीब 25 करोड़ आंकी जा रही है। इस स्थान पर बस अड्डे का कतई कोई औचित्य नहीं है।

पहली बात तो यह कि यहां जो लघु सचिवालय अदालतें व हूडा कार्यालय हैं उनके लिये वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। रोज़ाना यहां हज़ारों वाहन आकर खड़े होते हैं। सरकार 20 से 25 लाख तक का वार्षिक पार्किंग ठेका उठाती है। लेकिन वाहन खड़े कहां होंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अदालत परिसर के चारों ओर की सड़कों पर वाहन इस तरह से खड़े रहते हैं कि अन्य वाहनों का आवागमन दूभर हो जाता है। सरकार जिस भूखंड पर बस अड्डा निर्माण की तैयारी कर रही है, उस भूखंड पर रोज़ाना 700-800 कारें व दुपहिया खड़े होते हैं। बस अड्डा बनने पर ये वाहन कहां खड़े होंगे, यह सोचने वाला इस अंधी सरकार में कोई नहीं है। इसके अलावा साल भर में बीस-तीस बडे कार्यक्रम भी इसी मैदान में होते हैं जिसके बदले हुड्डा को किराया मिलता है।

दूसरे, इस बस अड्डे की आवश्यकता ही क्या है? फ़िलहाल 2 बस अड्डे (बल्लबगढ व एन आई टी दशहरा मैदान) जो हैं, उनका ही क्या इस्तेमाल हो रहा है? दोनों बेकार पड़े हैं। उनका कोई सद्उपयोग नहीं हो रहा । यदि सरकार को अक्ल से या जनता से दुश्मनी न हो तो यह नया बस अड्डा बनाने की अपेक्षा पहले से बने उक्त दोनों अड्डों को ठीक कर ले। इसके अलावा जनता को यात्रा करने हेतु अड्डों की बजाय बसों की जरूरत है, जिनमें वह सड़कों पर बने बस-स्टॉपों से बखूबी सवार हो सकती है।

सरकार को यदि जनहित की जरा भी चिंता हो तो वह अड्डा-निर्माण की बजाय बस सेवा को चुस्त-दुरूस्त करे, रोडवेज़ की मृतप्राय: वर्कशाप को पुनर्जीवित करे जिससे बसों का रख-रखाव हो सके। रख-रखाव के अभाव में यहां की आधे से अधिक बसें कंडम हुई खड़ी हैं।

सरकार व इसके योजनाकारों की मूर्खता के चलते सेक्टर 12 में सरकारी कार्यालय तो बन गये और अभी सेल टैक्स का बनाना है; परन्तु किसी ने यह नहीं सोचा कि इन दफ़्तरों में आने जाने वालों के वाहन कहां खड़े होंगे। यदि उनका बुद्धि से थोड़ा-बहुत भी कोई वास्ता होता तो प्रत्येक इमारत के नीचे बेसमेंट में पर्याप्त पार्किंग बन सकती थी।